विहंगावलोकन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, को दर्शाता है।

अध्याय 3 दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,419.72 करोड़ (9.47 *प्रतिशत*) से बढ़ गई। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 94.99 *प्रतिशत* का योगदान दिल्ली के अपने करों से था। कर राजस्व ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) से बढ़ गई। गैर-कर राजस्व जो 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.36 *प्रतिशत* था। वर्ष 2009-10 में ₹ 2,808.26 करोड़ (80.99 *प्रतिशत*) से घट गया। भारत सरकार से अनुदान ₹ 99.66 करोड़ (6.63 *प्रतिशत*) से घट गए।

(पैरा 1.2 तथा 1.5.1)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 22,366.52 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 1,707.16 करोड़ (8.26 *प्रतिशत*) से बढ़ गया है। 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 82.61 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 530.79 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 17.39 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

सरकार ने ₹ 17,060.35 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया हुआ था। (31 मार्च 2014) को 2013-14 में इन निवेशों पर लाभ काफी कम 0.07 *प्रतिशत* था। जबकि 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 8.80 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.8.1)

राज्य की संपूर्ण राजकोषीय देयताओं में 2009-10 **में** ₹ 26,544.20 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,080.32 करोड़ (20.86 *प्रतिशत*) हो गई। 2013-14 के दौरान ₹ 32,080.32 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 32,080.31 करोड़ की लघु बचत संग्रहण तथा ₹ 0.01 करोड़ की अन्य सहकारियों को दी गई सहकारी सहायता सम्मिलित थी।

(पैरा 1.9.2)

राज्य में राजस्व अधिशेष एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2009-10 में ₹ 6,550.46 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10,642.36 करोड़ हो गया तथा यह 2013-14 में ₹ 5,614.17 करोड़ था। राज्य में 2009-10 में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3,309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया। प्राथमिक अधिशेष 2013-14 में ₹ 1,118.42 करोड़ तक बढ़ गया। 2009-10 का ₹ 3,549.96 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2013-14 के दौरान ₹ 3,942.71 करोड़ का घाटा हुआ।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2013-14 के दौरान, ₹ 38,716.47 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 34,122.38 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹4,594.09 करोड़ की बचत हुई। ₹ 4,594.09 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में ₹ 3,043.95 करोड़ की बचत और पूँजीगत क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,550.14 करोड़ की बचत हुई।

(***पैरा 2.2***)

वर्ष 2013-14 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि आठ अनुदानों तथा एक विनियोजन से सम्बन्धित 24 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिनका कुल योग ₹ 2,826.07 करोड़ हुआ।

(पैरा 2.3.1)

आठ उपशीर्षों में ₹ 101.97 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। तथापि, अंतिम व्यय यहाँ तक कि मूल अनुदान/विनियोग से भी कम था।

(पैरा 2.3.6)

12 अनुदानों (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक की बचतों का संकेत दिया गया था) के अंतर्गत ₹ 4,383.02 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,294.95 करोड़ (बचतों की राशि का 29.54 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.9)

अनुदान सं. 11-शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नौ मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थी जो कि कुल अनुदान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी जो अवास्तविक बजटिंग, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा विभाग द्वारा योजनाओं जैसेः- बीआरटी कॉरीडोरों को चालू करना, वॉल्ड सिटी/शाहजहाँनाबाद तथा शहरी गाँवों के विकास में लापरवाही किया जाना इंगित करता है।

(पैरा 2.6)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी ऋणों और अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2013 तक दिए गए ₹ 26,434.30 करोड़ की राशि के कुल 5,235 अनुदानों में से, मार्च 2014 के अन्त तक ₹ 19,064.02 करोड़ के 4,784 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे। बकाया 4,784 उ.प्र. में से ₹ 5,651.17 करोड़ के 2,267 उ.प्र. (47.39 *प्रतिशत*) 10 सालों से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2012-13 तक पाँच स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 20 वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षा हेतु 31 मार्च 2014 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2014 को उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,151.65 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी जिनका समाशोधन तथा लेखे के उचित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)